कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री बलवीर सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीर जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि बामरला जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री बलवीर सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर मे एस.बी.सिविल याचिका संख्या 344/2021 श्री बलवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 344/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनाक 19.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री बलवीर सिंह के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री बलवीर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीर जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज का अन्तरिम समायोजन राउमावि रावलामंडी, 8 पीएसडी जिला श्रीगंगानगर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/नगेन्द्र सिंह/05/2021 दिनांकः 29.01.2021
29.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर/बीकानेर संभाग, चूरू/जोधपुर/बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर/श्रीगंगानगर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं/बाडमेर/श्रीगंगानगर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक,जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)